न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 2/2541/2021 तारीख रजू...............................

तरूण वगैरा **बनाम** किशनलाल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.11.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी ~~पेशी~~/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 2020, 2030, 2031, 2032, 2033,वाके ग्राम भैरूवास एवं आराजी खसरा नं0 968, 974, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, वाके ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति वनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थीगण में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोइ उज्र हो तो दिनांक 15.12.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 15.12.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
15/12/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से श्री कृपादयाल शर्मा एड0 ने वकालतनामा मय जवाब प्रस्तुत किया। शा0 कि0 किया। प्रति/अप्रार्थीगण संख्या - 2 उक्त जवाब पेश नहीं करना चाहते है। पत्रावली वास्ते बहस नहीं दिनांक 17/12/21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/12/22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय हाजिर। वकील सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 20/12/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
20/12/22	पत्रावली पेश हुई सायलान अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहे है। इस वजह से सायलान का प्रार्थना पत्र साबित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 27.11.24 वेकेट किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली मौजूद शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 02/254/2021

वउनवान

1. तरूण उम्र 10 साल पुत्र स्व0 महेश पोत्र किशनलाल जाति मीना नाबालिग
2. रोहित उम्र 8 साल पुत्र स्व0 महेश पोत्र किशनलाल जाति मीना नाबालिग नाबालिगान जरिये सपरस्त माता उर्मिला पत्नी स्व0 श्री किशनलाल जाति मीना निवासी कालवाडी तहसील कठूमर जिला अलवर

——— सायलान

बनाम

1. किशनलाल पुत्र सम्पत जाति मीना निवासी कालवाडी तहसील कठूमर
2. उप पंजीयक भनोखर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

श्री धनश्याम शर्मा– अधिवक्ता सायलान की ओर से

श्री कृपादयाल गुर्जर– अधिवक्ता गैरसायल सं0 1

आदेश

दिनांक 20.12.2021

सायलानद्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 2020, 2030, 2031, 2032, 2033 वाके ग्राम भैरूवास खसरा नम्बर 968, 974, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, वाके ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर में स्थित है। सायलान, गैरसायल सं0 1 व तरतीवी प्रतिवादीगण एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। सायलान ने प्रार्थना पत्र के पैरा सं0 3 में परिवार का सजरा अंकित किया है। सम्पत सायलान का पडदादा गैरसायल सं0 1 किशनलाल सायलान का दादा लगते है। महेश सायलान के पिता थे जो फौत हो गये। गैरसायल सं0 1 व सायलान आपस में दादा पोते तथा महेश सायलान का पिता

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

था। सायलान एंव गैरसायल सं0 1 व तरतीवी प्रतिवादी सं0 3–4 एक ही संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है तथा उक्त आराजी सायलान के पडदादा सम्पत व किशनलाल की पैदा कर्दा आराजी है तथा सायलान के दादा गैरसायल सं0 1 किशनलाल को उक्त आराजी सायलान के दादा सम्पत से विरासत में मिली है। इस प्रकार उक्त आराजी पैत्रिक आराजी है। जिसमें सायलान को बाई बर्थ हक वो अधिकार पैदा हो चुके है। सायलान विवादित आराजी में अपने हिस्सा के मुताविक काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 2020, 2030, 2031, 2032, 2033 वाके ग्राम भैरूवास में सायलान का 7/30 हिस्सा व खसरा नम्बर 968, 974, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982 वाके ग्राम कालवाडी में सायलान का 7/120 हिस्सा है शेष हिस्सा गैरसायल सं0 1 व तरतीवी प्रतिवादीगण का है। विवादित आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में गैरसायल सं0 1 का नाम खातेदारी में दर्ज रहने से सायलान के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। सायलान ने गैरसायल से विवादित आराजी में अपना नाम दर्ज कराने वावत कहा तो गैरसायल ने साफ इन्कार कर दिया। गैरसायल सं0 1 ने सायलान को खुले आम धमकी दी है कि मैं तुम्हें विवादित आराजी पर तुम्हारे हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने दूँगा। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करूँगा या फिर हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर गैरसायल सं0 1 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा दूँगा। जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायल अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गया तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायल सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सायलान को विवादित आराजी में जन्म से हक व अधिकार पैदा नहीं होते है। किशनलाल के दो पुत्री संजना व सुशीला और हैं जिनकी शादी हो चुकी है। जो ग्राम नारायणसिंह का नगला तहसील महुआ में ब्याही है। सायलान ने इनको सजरा में अंकित नहीं किया है। गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। जिसे विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। विवादित आराजी से सायलान का किसी तरह का

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। सायलान का प्रार्थना पत्र चलने योग्य ना होने से खारिज किया जावे। सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। गैरसायल सं0 2 जवाव पेश करना नहीं चाहते। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम भैरूवास व कालवाडी की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गई। सायलान को अपने प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिय निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है।

प्रथम दृश्टा केस

सुविधा का सन्तुलन

ना पूर्ति होने वाली क्षति

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल ग्राम भैरूवास व ग्राम कालवाडी की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान के पड दादा सम्पत की पैदा कर्दा आराजी है। सम्पत से ही उक्त आराजी सायलान के दादा किशनलाल को विरासत में मिली है। इस प्रकार उक्त आराजी पैत्रिक है जिसमें सायलान को जन्म से ही यानि बाई बर्थ हक वो अधिकार पैदा हो चुके है। सायलान का विवादित आराज़ी में कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। उक्त आराजी गैरसायल सं0 1 की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल सं0 1 सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है व जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करने की धमकी देता है तथा दीगर लोगों को रेहन वय करने पर उतारू है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायलान को अपार हानि, असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थगन आदेश से पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी पैत्रिक आराजी नहीं है। सायलान का विवादित आराजी में किसी तरह का हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। सायलान ने गैरसायल की दो पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया है। गैरसायल विवादित आराजी के रेकार्डेड

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

खातेदार काश्तकार हैं जिसे विवादित आराजी को रहन वय करने का पूरा पूरा अधिकार है। सायलान ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों, सायलान द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दियों का अवलोकन किया। सायलान ने विवादित आराजी पडदादा सम्पत से गैरसायल सं0 1 किशनलाल को विरासत में मिलना कथन किया है। विवादित आराजी सायलान के पडदादा सम्पत की हो इस तरह का सायलान ने कोई सांविक रेवन्यु रेकार्ड पेश नहीं किया है। इसके अलावा गैरसायल ने उसकी दो पुत्री संजना, सुशीला और होना कथन किया है जिस पर अधिवक्ता सायलान ने कोई जवाव नहीं दिया है। गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजी पैत्रिक हो तथा इसमें सायलान को बाई बर्थ हक व अधिकार हो ये तथ्य तो मूल वाद में मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य आने पर तय किये जावेंगे। यदि गैरसायल को पाबन्द कर दिया गया तो गैरसायलको नुकशान व क्षति होना संभव है। सायलान को किस तरह का नुकशान व क्षति हो रही है सावित करने में असफल रहे है। प्रथम दृश्टा कैस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायल के पक्ष में सावित है। सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहे है इस वजह से सायलान का प्रार्थना पत्र सावित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 27.11.2021 वैकेट किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 20.12.2021 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)